भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्डन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

F.No. S25/226/2019 I&B Cus दिनांक Date: Approved Date
DIN:20240858NB000000D740

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE NO.08 /2024

अधिकृत समुद्री वाहक (शिपिंग लाइन्स सहित), अधिकृत समुद्री एजेंट (स्टीमर/शिपिंग एजेंट), अधिकृत वाहक (ट्रांसशिपर्स), टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टोडियन, फ्रेट फारवर्डर, आयातक, निर्यातक, सीमा शुल्क ब्रोकर, उपर्युक्त सभी के अधिकृत व्यक्ति, उपर्युक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ और महासंघ, और अन्य सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान दिनांक 11.05.2018 को जारी अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) के माध्यम से अधिसूचित समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम (एससीएमटीआर), 2018 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), नई दिल्ली द्वारा, आयात मैनिफेस्ट (पोत) विनियम, 1971, निर्यात मैनिफेस्ट विनियम, 1976 और माल के परिवहन (विदेशी क्षेत्र के माध्यम से) विनियम, 1965 और दिनांक 05.03.2019 के फाईल संख्या. सी1/01/2019 टीयू कस में सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 03/2019, दिनांक 30.09.2020 को जारी बोर्ड परिपत्र संख्या 43/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 17.01.2020 को सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन द्वारा फाईल.सं. एस 25/226/2019 आई एंड बी- कस में जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2020, दिनांक 30.06.2024 को जारी बोर्ड परिपत्र संख्या 08/2024 तथा दिनांक 30.06.2024 को जारी अधिसूचना संख्या 47/2024-सीमा शुल्क (एन.टी.) के अधिक्रमण में यथासंशोधित रूप से जारी किया जाता है।

Kind attention of Authorized Sea Carriers (Including Shipping Lines), Authorized Sea Agents (Steamer/Shipping Agents), Authorized Carriers (Transhippers), Terminal Operators, Custodians, Freight Forwarders, Importers, Exporters, Customs Brokers, Authorized Persons of all above, Associations and Federations representing the above persons, and all other concerned stakeholders is invited to Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR), 2018 notified vide Notification No. 38/2018-Customs (N.T.) dated 11.05.2018, as amended and issued by Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), New Delhi in supersession of Import Manifest (Vessels) Regulations, 1971, Export Manifest Regulations, 1976 and Transportation of Goods (Through Foreign Territory) Regulations, 1965 and Trade Notice 03/2019 dated 05.03.2019 in F.No. C1/01/2019 TU Cus issued by Commissioner of Customs, Custom House, Cochin, Board Circular No. 43/2020-Customs dated 30.09.2020, Public Notice 01/2020 dated 17.01.2020 in F.No. S25/226/2019 I&B Cus issued by Commissioner of Customs, Custom House, Cochin, Board Circular No. 08/2024 dated 30.06.2024 & Notification No. 47/2024-Customs (N.T.) dated 30th June, 2024.

2. SCMTR का उद्देश्य पारदर्शिता व आवाजाही की पूर्वानुमेयता लाना तथा शीघ्र सीमा शुल्क निकासी के लिए सूचना का अग्रिम संग्रह करना है। ये विनियम आयातित/निर्यातित वस्तुओं की आवाजाही में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए दायित्वों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं। विनियम घोषणापत्र दाखिल करने के प्रारूप और समयसीमा में परिवर्तन को भी निर्दिष्ट करते हैं। बोर्ड परिपत्र संख्या 43/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 30.09.2020 ने उपर्युक्त पहलुओं पर अधिक विस्तार से बताया है।

The SCMTR seeks to bring about transparency, predictability of movement, advance collection of information for expeditious Customs clearance. The regulations stipulate the obligations, the roles and responsibilities, for the various stakeholders involved in the movement of imported/exported goods. The regulations also specify the changes to the formats and timelines for filing the manifest declarations. Board Circular No. 43/2020-Customs dated 30.09.2020 has elaborated more on the above aspects.

3. विनियमन 15(2) के अंतर्गत संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में पुराने प्रारूपों को स्वीकार किया जाना जारी रखा गया है, जिससे चरणबद्ध तरीके से नए प्रारूपों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त होता है।

As the transitional provision under Regulation 15 (2), the old formats have continued to be accepted, thereby giving sufficient time for complying with the new formats in a phased manner.

4. 30 जून की समयसीमा के साथ, सिस्टम महानिदेशालय (DGoS) सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और SCMTR विनियमों के अनुसार प्रारूपों का बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रहा है। फीडबैक के आधार पर एप्लिकेशन में 15 से अधिक बड़े बदलाव किए गए हैं और आईसगेट 2.0 मॉड्यूल का विकास भी पूरा हो चुका है और नए प्रारूप में परीक्षण फ़ाइलें प्राप्त हो रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि, कुछ हितधारकों ने इस दिशा में तत्परता दिखाई है और वे नए प्रारूप में फाइलिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरे कई ऐसे भी है, जिन्होंने अभी तक नए प्रारूप में परीक्षण शुरू नहीं किया है, जिससे 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह से नए प्रारूप में कार्य किए जाने की तत्परता के बारे में संदेह पैदा हो रहा है।

With the deadline of 30th June, Directorate General of Systems (DGoS) has been interacting with all the stakeholders and extensively testing the formats as per the SCMTR Regulations. More than 15 major changes have been carried out in the application based on the feedback and the ICEGATE 2.0 module development is also complete and is receiving the test files in the new format. It is further noted that, few stakeholders have shown readiness and are filing in the new format, while many others are yet to start testing in the new format, thereby creating the doubt regarding the readiness to move completely into the new format since 1st July 2024.

5. हितधारकों की तत्परता की स्थिति की समीक्षा करने पर, बोर्ड ने बोर्ड परिपत्र संख्या 08/2024, दिनांक 30.06.2024 और अधिसूचना संख्या 47/2024-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 30 जून, 2024 के माध्यम से 31 अगस्त, 2024 तक पुराने प्रारूप के तहत फाइलिंग की अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो 31 अगस्त 2024 से नई प्रणाली में माइग्रेशन के लिए एक अतिप्रारंभिक चरण है। इसलिए, हितधारकों को सलाह दी जाती है कि, वे प्राथमिकता के आधार पर समानांतरता आधारित नए प्रारूप में फाइलिंग शुरू करें, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हीं खेपों के लिए कार्गो निकासी समय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

On reviewing the status of readiness of the stakeholders, Board has, through Board Circular No. 08/2024 dated 30.06.2024 & Notification No. 47/2024-Customs (N.T.) dated 30th June, 2024 decided to provide an extension for filing under the old format till 31st August, 2024, as a final preparatory phase for migration into new system from 31st August 2024

onwards. Therefore, stakeholders are advised to start filing in the new format on a parallel basis on priority, as failure of the same may negatively impact the cargo clearance times for those consignments.

6. घोषणा की समानांतर फाइलिंग के दौरान निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए:

Following aspects may be kept in mind during the parallel filing of the declaration:

a. समानांतर फाइलिंग के दौरान कोई भी संशोधन पुराने प्रारूप में दाखिल किया जाए।
   Any amendment may be filed in old format during parallel filing.
b. संपूर्ण विवरण नए प्रारूप में दाखिल किया जाए। पुराने और नए प्रारूप में दाखिल विवरणों का मिलान, पूर्णता का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा।
   The complete details may be filed in the new format. The details filed in old & new format will be matched to analyze the completeness.
c. समानांतर फाइलिंग के दौरान, आई जी एम में संशोधन अधिकारी की मंजूरी के बिना जहाज के आने तक दाखिल किए जा सकते हैं।
   During parallel filing, the amendments to the IGM can be filed till the arrival of the vessel without approval of the officer.

7. DGoS विभिन्न हितधारकों जैसे शिपिंग लाइन्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, ट्रांस-शिपर्स आदि के लिए नए सी कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन (SCMTR) के तहत पंजीकरण प्रक्रिया और फाइलिंग आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देश जारी करेगा, जो उक्त विनियमों के कार्यान्वयन का अभिन्न अंग हैं। इसे www.icegate.gov.in -> Advisories - >SCMTR पर उपलब्ध कराया गया है।

The DGoS will be issuing various guidelines related to the registration process and filing requirements under the new Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR) for different stakeholders such as Shipping Lines, Freight Forwarders, Trans-shippers etc., who are integral to the implementation of the said regulations. The same are made available at www.icegate.gov.in -> Advisories - >SCMTR.

8. इस प्रारंभिक चरण में, DGoS त्रुटियों का विश्लेषण करेगा, समस्या निवारण करेगा और संदेशों की समानांतर फाइलिंग में दृढ़ता सुनिश्चित करेगा। इस अवधि के दौरान DGoS के परामर्श से स्थानीय सार्वजनिक सूचना(सूचनाओं)के माध्यम से स्थानवार संदेश भेजना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

In this preparatory phase, DGoS will analyze the errors, troubleshoot and ensure robustness in the parallel filing of messages. The messages will be made mandatory location-wise within this period, by way of local Public Notice(s), in consultation with DGoS.

9. इस संबंध में आने वाली किसी भी कठिनाई को सीमा शुल्क गृह, कोचिन, विल्लिंग्डन आईलैंड में उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात एवं बांड) के संज्ञान में लाया जाएं।

Any difficulty faced in this regard may be brought to the notice of the Deputy/Assistant Commissioner of Customs (Import & Bonds) at Custom House, Cochin, Willingdon Island.

Signed by Gurkaran Singh Bains
Date: 23-08-2024 12:56:44

गुरकरण सिंह बैंस Gurkaran Singh Bains

सीमा शुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

प्रति Copy To,

1. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. रोड, कोचिन-682 018

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiurvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Road, Cochin-682 018

2. ई डी आई- कोचिन सीमा शुल्क वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए EDI- To Publish in Cochin Customs Website

3. सूचना पट्ट Notice Board